यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल के माह 07/2015 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गो वंद कुमार संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 26.08.2017 से 07.08.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्रीराज बहादुर, स.ले.प.अ. एवं श्री रामवीर संह, स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 13.07.2015 से 25.07.2015 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें राजस्व हेतु माह 12/2010 से 06/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 12/2010 से 06/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 07/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र: वानिकी कार्य एवं धूमकोट, नैनी डांटा, सल्ट, अभियांत्रिक एवं रिंगलाना राजि क्षेत्र।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :
(ii) (ब)

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	0.92
2015-16	0.34
2016-17	0.35

बजट का विवरण

वगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (रू लाख में)		गैर स्थापना (रू लाख में)	
	स्थापना (`)	गैर स्थापना (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)
2014-15	---	---	378.04	374.34	126.44	126.42
2015-16	----	----	351.18	345.96	92.35	92.35
2016-17	-----	-----	390.90	390.84	103.98	103.98

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त (रू लाख में)	व्यय (रू लाख में)
2015-16	इंटि फकेसन आफ मेनेजेमेंट	------	1.68	1.68
2016-17		-----	2.52	2.52

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केंद्र एवं राज्य सरकार) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वना धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:- (**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो --------------------

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अंकत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ....------..................................
.... (प्रतिचयन वधि का नाम अंकत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

<u>भाग-II 'अ'</u>

<u>प्रस्तर- 1- **शून्य**</u>

भाग-II 'ब'

प्रस्तर- 1- **कम वसूली से राजस्व क्षति `0.72 लाख।**

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II 'अ'

प्रस्तर- 1 **शून्य**

भाग-II 'ब'

प्रस्तर- 1- **(1) लेताना उन्मूलन कार्य तीन वर्षों तक लगातार नहीं किए जाने के कारण ` 14.50 लाख का निष्फल व्यय।**

(2) अभिलेखों को उपलब्ध न कराए जाने से ` 277.19 लाख व्यय का सत्यापन न किया जाना।

(3) अनियमित व्यय ` 4.95 लाख।

(4) ` 14.42 लाख व्यय का सत्यापन साक्ष्यों के अभाव में न किया जाना।

(5) ` 4.02 लाख मूल्य का अधोमानक अग्रिम मृदा कार्य सम्पन्न करवाया जाना।

(राजस्व)

भाग दो (ब)

प्रस्तर-01 कम वसूली से राजस्व क्षति ₹ 0.72 लाख

प्रभागीय वन धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अवलोकन पर यह पाया गया क वर्ष 2015-16 में 136862 पौध एवं वर्ष 2016-17 में 91687 पौध सशुल्क वतरित कए गए थे राजस्व जमा सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 में ₹ 16,893 एवं वर्ष 2016-17 मे ₹ 17093 जमा कराया गया था। जब क उपरोक्त दोनों वर्षो मे ₹ 10.65 प्रति पौध के अनुसार ₹ 24,34,047 (136862+91687=228549x ₹10.65) की धनरा श जमा कराया जाना चाहिए। इस प्रकार ₹ 24,00,061/- (₹24,34,047-33,986) कम जमा कराया गया था।

उक्त को इं गत कए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया क वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 मे ₹ 23,27,575 की धनरा श कैम्पा योजना मे पौध बिक्री से प्राप्त कया गया जिससे कुल ₹ 23,27,575 + 33,986=₹ 2361561 जमा कया गया । इस प्रकार दोनों वर्षो के अनुसार ₹ 72,486 (24,34,047 -23,61,561) कम राजस्व जमा कया गया था।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

(व्यय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-02 : लेंटाना उन्मूलन कार्य तीन वर्षो तक लगातार नहीं कए जाने के कारण ₹ 14.50 लाख का निष्फल व्यय।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात् भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाष एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभागीय वना धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल के अ भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभा वत क्षेत्र के उपचार तथा उन्मूलन हेतु लए गए क्षेत्र को लगातार तीन वर्षों तक उपचार कार्य नहीं कया गया जिससे की अधूरे उपचार पर कया गया व्यय निष्फल रहा। जैसा की नीचे दी गयी ता लका में देखा जा सकता है।

Year	**Area taken up in ha.**	**Year of treatment**	**Expenditure in ₹ (expenditure in ₹ per ha.)**	**Shortfall in treatment in ha.**	**Unfruitful expenditure**
CAMPA					
2013-14	20	(I)	100000		
2014-15	20	(II)	40000		
2015-16	0	(III)	0	20	100000+40000=140000
2013-14	124	(II)	248000		
2014-15	119	(III)	248000	5x 2000	10000
2015-16	144.50	(I)	1300000		
2016-17	0	(II)	0	144.50	1300000
Unfruitful Expenditure on account of not continuing treatment for three consecutive years					**14,50,000**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रभाग द्वारा 2013-14 से 2015-16 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 14,50,000 का व्यय निष्फल रहा।

उक्त को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि बजट की मांग की गयी थी बजट का आबंटन न होने के कारण अगले वर्षो मे उपचार नहीं किया जा सका।
उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेंटाना उन्मूलन का कार्य लगातार तीन वर्षों तक किया जाना चाहिए था। इस प्रकार तीन वर्षों तक लगातार लेंटाना उन्मूलन संबंधी कार्यवाही न किए जाने से ₹ 14.50 लाख के निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 03 :- अभिलेखो को उपलब्ध न कराये जाने से ₹ 277.19 लाख व्यय का सत्यापन न किया जाना।

मुख्य परियोजना निदेशक, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना (जायका) उत्तराखंड देहारादून के पत्रांक 123/2-18 दिनांक 04.08.2016 के अनुसार कार्यालय के पत्रांक 259/2-19 दिनांक 17.10.2015 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार मुख्य विंदु निम्नानुसार है-

1. वन पंचायतों द्वारा केवल उन मदों पर व्यय किया जाएगा जो माइक्रो प्लान मे है तथा वार्षिक कार्ययोजना मे आम सभा द्वारा अनुमोदित हो।
2. प्रत्येक कार्यमद मे आबंटित धनराशि के सापेक्ष वन पंचायत द्वारा कार्य सम्पन्न कर लिए जाने के उपरांत किए गए कार्यो का सत्यापन वन पंचायत के सरपंच तथा वन पंचायत सचिव (यथास्थिति वन दारोगा/उप वन रेंजर) द्वारा किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि नपत पुस्तिका (**M.B.**) मे की जाएगी। नपत पुस्तिका की प्रविष्टियों को भी वन पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
3. प्रत्येक कार्य की नपत पुस्तिका मे की गयी प्रविष्टि के अनुरूप वास्तव मे सम्पन्न कर लिए जाने की पुष्टि **FMU Head/Range Officer** द्वारा की जाएगी तथा इसकी प्रविष्टि नपत पुस्तिका मे **FMU Head/Range Officer** द्वारा की जाएगी।
4. वन पंचायतों के लेखा के रख-रखाव के लिए **Cash Book, Voucher File** एवं अन्य अभिलेख संधारित किए जाएंगे जिन्हे रेंज स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा ।

प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अवलोकन मे पाया गया कि वर्ष 2015-16 प्रथम फेज मे 07 वन पंचायत एवं वर्ष 2016-17 मे द्वितीय फेज मे 28 वन पंचायतों को कुल ₹ 277.19 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। जिसमे ₹ 274.70 लाख व्यय किया गया है। रेंज की नपत पुस्तिका मे प्रविष्टि संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। न ही वन पंचायतों के लेखो Cash Book, Voucher File एवं अन्य अभिलेख रेंज से लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया। अतः उक्त के अभाव मे वन पंचायतों द्वारा व्यय की गयी धनराशि का सत्यापन लेखा परीक्षा मे नहीं किया जा सका।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 का वन पंचायतों का आडिट सी ए द्वारा किया जाना है। बैलेन्स शीट कि प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी एवं सभी रेकॉर्ड रेंज एवं वन पंचायत स्तर पर संधारित किए गए है एवं समस्त कार्यो की माप पुस्तिका की प्रति वन पंचायत वार उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 04 - अनियमित व्यय `4.59 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅाक्युरमेंट) नियमावली, 2008 में यह प्रावधान किया गया है कि वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(1) `10,00,000 (`दस लाख) या उससे कम लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध सम्भावित ठेकेदारों/फर्मों/संस्थाओं से नियम–60 के अधीन सीमित निविदा सूचना के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्ताव मांगे जायें। इस प्रकार चिन्हित ठेकेदारों/ संस्थाओं/ संगठनों की संख्या 6 (छह) से कम न हो।

प्रभागीय वनाधिकारी, अति0भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 ग्लोबल मैनपावर साल्यूसन्स, मल्लीताल द्वारा जुलाई 2015 से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी थी तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 07/2015 से 03/2017 तक ₹ 4,95,309 का भुगतान किया गया था (विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार)। मै0 ग्लोबल मैनपावर साल्यूसन्स, मल्लीताल को बिना निविदा/कोटेषन के आमंत्रण पर कर लिया गया था। जबकि मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅाक्युरमेंट) नियमावली, 2008 निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके। नियमानुसार निविदा का आमंत्रण न करके ₹ 4,95,309 का अनियमित व्यय किया गया।

उक्त को इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या 49/1–14(4) दिनांक 05.07.2010 द्वारा प्रभाग द्वारा स्वयं अनुबंध किये जाने के निर्देश का पालन किया गया है। समिति निविदा की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन नहीं किया गया है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 05 :- ₹ 14.42 लाख व्यय का सत्यापन साक्ष्यों के अभाव मे न किया जाना।

प्रभागीय वन धकारी अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग रामनगर नैनीताल के रेंज नैनीडांडा, रिंगलाना एवं अ भयांत्रिक की कैम्पा योजना की माह मार्च 2017 के वाउचरो की जांच मे पाया गया क प्र शक्षण से संबन्धित संगलनक ₹ 14.42 लाख के वाउचरो (संलग्न) के समर्थन जैसे क प्र शक्षण मे कतने व्यक्ति कन-कन ग्रामो के उपस्थित थे एवं प्र शक्षण से संबन्धित वन पंचायत की बैठक की कार्यवाही तथा चयन कए गए ग्रामीणो की दिन वार उपस्थिति से संबन्धित साक्ष्य लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त वाउचरो का सत्यापन नहीं कया जा सका। उपरोक्त व्यय का भुगतान नगद कया गया था।

उक्त को इं गत कए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया क साक्ष्य एवं अ भलेख वन पंचयत स्तर पर सधारित कए गए है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वही स्थानीय निवासी द्वारा चाय, नास्ता एवं भोजन क व्यस्था कराई गयी थी जिससे नगद भुगतान कया गया। साथ ही यह भी अवगत करना है क रेंजों के मदर चाइल्ड एकाउंट रामनगर मे बैंक की शाखा न होने के कारण नहीं खोले नहीं जा सके है।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 06 : ` 4.02 लाख मूल्य का अधोमानक अग्रिम मृदा कार्य संपन्न करवाया जाना।

उत्तराखण्ड में प्रभावी वृक्षारोपण संहिता के अनुसार वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य माह नवम्बर से प्रारंभ होकर माह फरवरी तक समाप्त हो जाना चाहिए ताकि खुली मिट्टी व गड्ढे को वेदरिंग हेतु 3–4 माह का समय मिल जाता है। अग्रिम मृदा कार्य की गुणवत्ता उचित रहने से वृक्षारोपण की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

प्रभागीय वनाधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल के रिंगलाना रेंज के माह मार्च 2017 के वाउचरों की जांच में पाया गया कि रेंज में गड्ढे खुदान का ` 4.02 लाख मूल्य का कार्य मार्च 2017 में संपन्न किया गया। ऐसा करके न केवल वृक्षारोपण संहिता में उल्लिखित विभागीय मानकों का उल्लंघन किया गया बल्कि इसके कारण से वृक्षारोपण की सफलता भी प्रभावित होती।

उक्त को इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा बताया गया कि मार्च महीने में भी अग्रिम मृदा कार्य के अन्तर्गत गढ्ढे खुदान किया जा सकता है। तथापि, उक्त अग्रिम मृदा कार्य वास्तव में वृक्षारोपण संहिता के मानकों की पूर्ति नहीं कर रहा था।

प्रकरण प्रकाष में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अंकत कया जाय)

व्यय से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
58/2015-16	01	01,02,03,04
01/2010-11	01	01,02

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
58/2015-16	भाग 2 ब प्रस्तर 4		निस्तारण योग्य है।	

राजस्व से संबंधतः वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
58/2015-16		STAN 01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वना धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मान संह	प्रभागीय वनाधिकारी
(ii)	श्री सुभाष चन्द्रा	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभागीय वना धकारी, अतिरिक्त भू म संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी